


उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ
संख्या: 07/164/भर्ती-2/13/2015
लखनऊ: दिनांक: 04 मई, 2018

विज्ञापित

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या: 13(5)/2015 दिनांक 11.09.2015 सीधी भर्ती(सामान्य चयन)/2015 के अन्तर्गत महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ, निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवायें, उ0प्र0 कानपुर, निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ तथा **उप महानिरीक्षक(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ** के नियंत्रणाधीन 09 विभिन्न प्रकार के कुल 1752 पदों का आन लाइन विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

आयोग के उक्त विज्ञापन सं0 13(5)/2015 के अन्तर्गत प्रकाशित सारणी-1 के क्रमांक 09 में उल्लिखित **उप महानिरीक्षक(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें के नर्स के रिक्त 02 पदों** के सापेक्ष 661 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन सबमिट किये गये थे। इन अभ्यर्थियों के Eligibility checking हेतु शैक्षिक अभिलेख प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर अपलोड कराया गया जिसके सापेक्ष केवल 25 अभ्यर्थियों द्वारा ही अपने प्रपत्र/शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत किये गये।

इन अभ्यर्थियों के प्रपत्र/शैक्षिक अभिलेख के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि उक्त 25 अभ्यर्थियों ने विज्ञापन में दर्शायी गयी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं। अतः अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पूर्ण न करने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदकों का **अभ्यर्थन निरस्त** करने का निर्णय लिया गया है। तदुपरान्त इनका अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है।


(डा0 अरविन्द कुमार चौरसिया)
सचिव